



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओटीएस केम्पस के पास, झालाना लिंक रोड,

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (फोन एवं फ़ैक्स नं. 0141 2719136)

क्रमांक पं. 6 ()/रा.सू.आ./संस्था/2020/ 716-721


दिनांक 18.05.2020

20

कार्यालय आदेश

कार्मिक (ख-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प.4(8) कार्मिक/ख-3/2016 दिनांक 19.05.2020 के अनुसरण में कोविड-19 महामारी के मध्यनजर गृह (गुप-9) विभाग के आदेश क्रमांक 33 (2) गृह-9/2019 दिनांक 18.05.2020 द्वारा समस्त प्रदेश में मोडिफाईड लॉकडाउन को दिनांक 18.05.2020 से 31.05.2020 तक बढ़ा दिया गया है।

अतः दिनांक 19.05.2020 से 31.05.2020 तक राज्य सूचना आयोग में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति गृह विभाग के उक्त आदेश दिनांक 18.05.2020 के अनुसार रहेगी। केवल कर्पूरग्रस्त चेत्र अथवा कंटेनमेन्ट जोन एवं 65 वर्ष व अधिक आयु के किसी अधिकारी/कर्मचारी को कार्यालय में नहीं बुलाया जाएगा। यह आदेश सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।


रजिस्ट्रार

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय सूचना आयुक्त महोदय-द्वितीय/तृतीय
3. प्रोग्रामर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को आयोग की वेबसाईट पर तुरन्त अपलोड करें।
4. नोटिस बोर्ड
5. रक्षित पत्रावली


रजिस्ट्रार